

18-6-18

उपरखण्ड अधिकारी

पत्रावली सात कैम्प कोर्ट पोसावा में पेश हुई।  
 नं. 1 रज्जालीराम स्वयं उपस्थित। उत्तिवादी कं. 1 रज्जालीराम  
 के कैम्प के द्वारा गलीवामा मम वास्ति प्रमाण पत्र नाम  
 पंचायत पोसावा ने प्रस्तुत किया। कैम्प के द्वारा उत्तिवा  
 रज्जालीराम के पूछताछ की गई। प्रमाण पत्र नं. 1 ने कथन किया  
 कि ग्राम पोसावा की सरहद में स्थित ग्राम नं. 401,  
 446, 447, 448, 449, 453, 758, 965/448, 990/445  
 कित्ता - 9 कुल रकबा 7.5922 हे. की रवातेदारी रज्जालीराम  
 दंपुत्र नूताराम का सि 100 के नाम के दर्ज रिकार्ड है। उक्त  
 वारिगत ग्राम की रवातेदारी मेरे साथ - 2 मेरे जयल वारिकाम  
 को दिये जाने पर मुझे कोई संतराण आपत्ति नहीं है  
 अरपंच ग्राम पंचायत पोसावा द्वारा जारी वारिगत प्रमाण पत्र  
 गलीवामा के संलग्न है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत गलीवामा  
 के आधार पर उत्तिवादी कं. 1 रज्जालीराम उक्त वारिगत  
 ग्राम को अपने जामेदार वारिकाम को देने पर अपनी  
 सहमति जताई है। उक्त विवेचन के प्रस्तुत वादपत्र  
 प्रस्तुत गलीवामा के आधार पर स्वीकार किया जाना उचित  
 व व्यामोचित प्रतीत होगा है।

आदेश

प्रस्तुत गलीवामा के आधार पर वादपत्र स्वीकार किया  
 जा रहा है तथा डिक्ली इस आशय की दी जाती है कि ग्राम  
 पोसावा की सरहद में स्थित ग्राम नं. 401, 446, 447  
 448, 449, 453, 758, 965/448, 990/445 कित्ता - 9  
 कुल रकबा 7.5922 हे. में उत्तिवादी कं. 1 रज्जालीराम  
 दत्तक पुत्र नूताराम के साथ इनके वारिकाम, विद्याधर  
 विनोद, विजेन्द्र कुमार पुत्रान रज्जालीराम एवं मंजू देवी  
 सुमिता अनिता पुत्रीगण रज्जालीराम को हिस्सा कराकर  
 बराबर का रवातेदार काबल कार चोषित किया जा रहा है  
 तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवादी राठ स्व रिकार्ड में  
 आमल कराया करें। डिक्ली पचा जारी है।

पत्रावली केस ला गुजर होकर दाखिल दफतर हो। दिनांक  
 आठ दिसेंबर 18-6-18 के कैम्प कोर्ट पोसावा में मुकामागमा

उपरखण्ड अधिकारी  
 उदयपुरवादी